


फर्द अहकाम

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>लिखे कोई स्वीकृतिशुदा शास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहा गया शास्ता स्वीकार किया जाता है। विहित निर्णय पृथक् से लिखा जाकर स्वगत किया गया। पत्रावली बाद तरीक लकमील होकर दाखिल रहता है।</p> <p>निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">  (सुमिता बिशनोई) R.A.S. </p>	